

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक-प्र०/सा०वि०पा०डि०क०लि०-०८/२०१८

पटना, दिनांक-

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।

विषय:- साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के क्षेत्राधीन भागलपुर जिला के जगदीशपुर प्रखंड के ग्राम गोनुधाम में एक अदद ३३/११ के०वी० २X५ एम०भी०ए० का नया शक्ति उप केंद्र के निर्माण हेतु ५.३३ करोड़ (पाँच करोड़ तैंतीस लाख) रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष २०१७-१८ में ५.३३ करोड़ (पाँच करोड़ तैंतीस लाख) रूपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० को भुगतान करने हेतु आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या-९०१ दिनांक-१९.०३.२०१८ के आलोक में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के क्षेत्राधीन भागलपुर जिला के जगदीशपुर प्रखंड के ग्राम गोनुधाम में एक अदद ३३/११ के०वी० २X५ एम०भी०ए० का नया शक्ति उप केंद्र के निर्माण हेतु ५.३३ करोड़ (पाँच करोड़ तैंतीस लाख) रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष २०१७-१८ में ५.३३ करोड़ (पाँच करोड़ तैंतीस लाख) रूपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० को भुगतान करने हेतु आवंटन स्वीकृत एवं विमुक्त किया जाता है।

२. उक्त राशि मुख्य शीर्ष ४८०१-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-उप मुख्य शीर्ष-०५ संघरण तथा वितरण, लघु शीर्ष-१९०-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, उपशीर्ष-०१११- बिहार स्टेट पावर (हो०) कम्पनी लि० की परियोजना, माँग सं०-१०, विपत्र कोड- १०-४८०१०६१९००१११ विषय शीर्ष ५४०१-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१७-१८ में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

आवंटन की स्थिति निम्न प्रकार है :-

बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	बजट उपबंध की शेष राशि
15781053000.00	15225000000.00	53300000.00	15278300000.00	482753000.00

३. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जाएगी।

४. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक २५८१ दिनांक १७.०४.९८ के आलोक में निर्गत किया जाता है तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से अनुरोध है कि राशि की निकासी के पूर्व सारी प्रक्रियाओं को पूरी करने के बाद ही इस राशि की निकासी करेंगे। यह राशि उस मद में कुल उपबंधित राशि के अधीन है।

5. आवंटित राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि के साथ संबंधित इकाई के कोड संख्या का भी उल्लेख करेंगे तथा विपत्र पर चिह्नित राशि बजट उपबन्ध के अन्तर्गत होने का प्रमाण-पत्र भी अंकित करेंगे।

6. इस राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448- स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-120-अन्य निधियाँ, उपशीर्ष-0047- साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि०, व्यय शीर्ष-L8448001200047 एवं प्राप्तियाँ-K-8448001200047 में जमा की जाएगी।

7. साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी०एल० खाता संख्या PLA275 से की जाएगी।

दिश्वासभाजन,

ह०/-

(प्रत्यय अमृत)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-प्र०/सा०बि०पा०डि०क०लि०-०८/२०१८

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/
महालेखाकार (लेखा परीक्षा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-प्र०/सा०बि०पा०डि०क०लि०-०८/२०१८ 33

/पटना, दिनांक-23/03/2018

प्रतिलिपि:-लेखा शाखा (तीन प्रतियों में), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/विभागीय बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/बजट शाखा, वित्त विभाग/राजस्व शाखा, वित्त विभाग/प्रशाखा-7, वित्त विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।